20 DEC 2021

सं0सं0:—प0नि0वि0—09/विविध—04/2019 3957(S)WE

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार साह,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सचिव,
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई0—गवर्नेंस विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 17-12-21

विषय :— नागरिक केन्द्रिक सेवाओं से संबंधित वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:— भवदीय पत्रांक—1570, दिनांक—26.11.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि वांछित सूचना, उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में अंकित करते हुये आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही हैः—

क्रम सं0	नागरिक केन्द्रिक सेवा का नाम	संबंधित संकल्प/राज्यादेश/अधिसूचना/अन्य आदेश का विवरण (छायाप्रति संलग्न करें)	संक्षिप्त विवरणी (सॉफ्ट कॉपी के साथ)
1.	ऑनलाईन संवेदक निबंधन।	संलग्न है।	संवेदक निबधंन नियमावलियों की छायाप्रति एवं सॉफ्ट कॉपी सी0डी0 के रूप में संलग्न है।

अनु0:—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

17/12/2021
(संजय कुमार साह)
सरकार के अवर सचिव।

17/12/21

D:\Type Sec_Kausar\abcd\All Letter 2021.docx.doc

पाराशष्ट – 1

झारखंड सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

संख्या :– 5851 (S) /राँची, दिनांक 10/09/08

पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या लो0नि0–6–3–2/2000(अंश) 3878 (S) दिनांक 21.08.2002 को अवक्रमित करते हुए झारखंड राज्यपाल सम्यक रूप से विचार करने के उपरांत पथ निर्माण विभाग हेतु **झारखंड पथ निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली, 2008** प्रतिपादित करते हैं।

1. (i) यह झारखंड पथ निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली, 2008 कहलायेगी।
   (ii) यह नियमावली राजकीय गजट में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
   (iii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।
2. संवेदकों को पथ निर्माण विभाग के समस्त कार्यों के निर्माणार्थ निम्नलिखित श्रेणी में निबंधित किया जायेगा :–

   श्रेणी 1 : 2.50 करोड़ रूपये से ऊपर के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।

   श्रेणी 2 : 50 लाख रूपये से अधिक तथा 2.50 करोड़ रूपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।

   श्रेणी 3 : 10 लाख रूपये से अधिक तथा 50 लाख रूपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।

   श्रेणी 4 : 10 लाख रूपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।
3. उपर्युक्त श्रेणियों के लिए अप्रत्यर्णीय निबंधन शुल्क निम्न प्रकार होगा :–

   श्रेणी 1 : 2.00 लाख रूपये

   श्रेणी 2 : 1.00 लाख रूपये

   श्रेणी 3 : 25 हजार रूपये

   श्रेणी 4 : 10 हजार रूपये

4.1 निबंधन 5 वर्षों के लिए अनुमान्य होगा । प्रत्येक श्रेणी के लिए कोई भी संवेदक उक्त श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमाकर निबंधित हो सकते हैं । प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रत्येक संवेदक को ग्यारह अंको का पृथक निबंधन कोड आवंटित किया जाएगा, जिसके आवंटन की निम्नांकित प्रक्रिया होगी :

(i) कोष्ठक | 1 | 2 | 3 | 4 | संवेदक संख्या

(ii) कोष्ठक | 5 | निबंधन श्रेणी

(iii) कोष्ठक | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | आवेदन की तिथि (dd mm yy)

4.2 अभियंता प्रमुख–सह विशेष सचिव अथवा ऐसे पदाधिकारी, जो पथ निर्माण विभाग, झारखंड के द्वारा प्राधिकृत किये गये हों, निबंधन पदाधिकारी होंगे।

4.3 उपरोक्त चारों श्रेणियों के निबंधित संवेदक सम्पूर्ण झारखंड में कहीं भी निविदा डालने के लिए सक्षम होंगे। किसी श्रेणी में निबंधित संवेदक उक्त श्रेणी हेतु नियम 2 में वर्णित राशि के अन्तर्गत ही निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम होंगे ।

4.3.1 निविदा आमंत्रण सूचना में वर्णित राशि को नियम 2 में अंकित संबद्ध श्रेणी के अन्तर्गत समझा जाएगा ।

4.4 निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार लंबित निबंधन/नवीकरण के मामलों पर विचार किया जाएगा।

4.5 प्रत्येक श्रेणी के लिए निबंधित संवेदक की वरीयता का निर्धारण उनके द्वारा विभाग में समर्पित आवेदन की तिथि से अनुमान्य होगा।

4.6 नियम 2 के श्रेणी 4 में निबंधन हेतु अनियोजित अभियंताओं को निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत मात्र ही देना होगा।

5.1 निबंधन के लिए निम्नलिखित कागजात संवेदक को जमा करने होंगे : –

5.1.1 प्रपत्र 'क' में आवेदन पत्र

5.1.2 PAN रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छाया प्रति

5.1.3 आवेदन पत्र में अंकित पता का साक्ष्य(Address Proof)

5.1.4 निर्धारित शुल्क बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल," (निबंधन पदाधिकारी के मुख्यालय का प्रमंडल) के पक्ष में देय तथा (निबंधन पदाधिकारी के मुख्यालय) में भुगतेय होगा। संबंधित कार्यपालक अभियंता इसे कोषागार में विहित राजस्व शीर्ष में जमा करेंगे।

5.1.5 यदि पार्टनरशिप या लोक सीमित कंपनी या संयुक्त क्षेत्रीय उपक्रम हो तो उसका निबंधन प्रमाण पत्र, अंशधारियों के नाम तथा पार्टनरशिप डीड/कम्पनी बाई लॉज की प्रति।

5.1.6 इस आशय का शपथ पत्र कि आवेदक व्यक्ति अथवा उनपर आश्रित परिवार के किसी अन्य सदस्य/आवेदक फर्म को इस नियमावली के नियम 10 एवं 11 में वर्णित किसी भी कदाचार में संलिप्तता के लिए कभी दंडित अथवा प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

5.2 निबंधन के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन ऑन–लाईन (on line) कागजात भी समर्पित किए जा सकेंगे :

5.2.1 समर्पित कागजात डिजीटल–हस्ताक्षर (Digital Signature) युक्त हों।

5.2.2 निर्धारित शुल्क का ई–भुगतान (E-Payment) सुनिश्चित किया जाए।

5.2.3 यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रभावी होगा।

6.1 सरकारी सेवा से हटाये गये व्यक्ति, संवेदकों की स्वीकृत सूची से हटाये गये व्यक्ति, निलंबित सरकारी सेवक, न्यायालय से दोषी पाये गये व्यक्ति एवं किसी भी विभाग द्वारा असैनिक कार्यों हेतु प्रतिबंधित/काली सूची में अंकित व्यक्ति/फर्म के आवेदक होने की स्थिति में ऐसे आवेदक का निबंधन/नवीकरण नहीं किया जायेगा।